न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–14 / 2019 तारीख रजू:–26.04.2019

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2019 / 00028

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. हेमराज पुत्र स्व. प्रभुलाल बैरवा निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा
2. श्रीमती बादाम पत्नि स्व. प्रभुलाल बैरवा निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–प्रतिवादी

उपस्थित–

वकील वादी:– श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

प्रतिवादी वकील:– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–10.11.2025

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि –

❖ वादीगण वाके ग्राम बलरिया के मूल निवासी है एवं खातेदार कास्तकार व्यक्ति है। वादीगण का पैत्रिक सम्पति आराजी वाके ग्राम बलरिया में निम्न प्रकार से है–

खाता संख्या 188 खाता सं. नया 197

खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म
108	0.07	बारानी 3
109	0.31	बारानी 3
151	0.65	बारा[illegible]
152	0.83	बा[illegible]
152 / 3381	0.22	बारानी 3
2261	0.09	बारानी 3
2269 / 3382	0.04	बारानी 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

खाता संख्या नया 198 खाता संख्या पुराना 194

खाता संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		
1576	0.05	बारानी 1	0.05	0.55
1607	0.14	बारानी 2	0.14	1.12
1609	0.15	बारानी 2	0.15	1.20
2232	0.10	चाही 3	0.10	1.20
2269	0.24	बारानी 2	0.24	1.92
2270	0.58	बारानी 2	0.58	4.64
2705	1.10	बारानी 2	1.10	8.80
2882	0.19	बारानी 2	0.19	1.52
2883 / 3240	0.10	बारानी 2	0.10	0.80
2887	0.27	बारानी 2	0.21	2.16
कुल खसरे 10	2.92		2.92	23.91

इस प्रकार कुल किता 17 कुल रकबा 2.2100 + 2.9200 = 5.1300

❖ वादीगण की उक्त आराजी मूलतय सीत्या के नाम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। सीत्या के निधन के पश्चात उक्त आराजी में आराजी में हिस्सा 2/3 व 4/9 सीत्या के वारिसान प्रभुव जमना के नाम एवं 1/3 हिस्सा कालू के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

सीत्या

प्रभु (8 वर्ष से लापता) — जमना — कालू

प्रभु: बदाम (पुत्री) — हेमराज (पुत्र)

❖ प्रभूलाल अर्से दराज से मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते थे। अचानक घर से बिना बताये चले जाना एक सामान्य प्रक्रिया बन गयी परन्तु दिनांक [illegible] 2010 से प्रभूलाल घर से गायब हुए है जो आज तक घर पर वापस नहीं आये [illegible] एवं प्रत्येक रिश्तेदार के यहाँ पता किया परन्तु प्रभूलाल का कहीं कोई पता नहीं चला है। अन्त मे दिनांक 19.09.2010 को वादी सं. 1 ने पुलिस थाना चौथ का बरवाडा मे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी जो दिनांक 19.09.2010 को रोजनामचा सं. 438 पर दर्ज है। पुलिस थाना चौथ का बरवाडा एवं वादी सं. 1 ने विगत आठ वर्षो से प्रभूलाल को ढूंढने के अथक प्रत्यत्न किये है परन्तु प्रभूलाल का कोई पता नही चला है। यह कि प्रभूलाल को घर से गुम हुए अर्सा 7 वर्ष से अधिक हो गया है। इस बीच उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

कही भी जीवित होने के संकेत नहीं मिले है। ऐसी स्थिति मे प्रभूलाल को मृत घोषित किया जाना आवश्यक है।

- आराजी मुन्दर्जा मद सं. 2 मे दर्ज वादीगण के हिस्सा 1/3 को कास्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रभूलाल की अनुपस्थिति के कारण अकाल की स्थिति मे मिलने वाले सरकारी सहायता से वंचित रहना पड़ा है। इसके अलावा वादीगण कृषि उपकरण एवं कृषि सम्बन्धी अन्य खर्चा के लिये बैंक ऋण सुविधा से भी वंचित रह रहे है। इस प्रकार से वादीगण को असहनीय आर्थिक हानि उठानी पड रही है।

- प्रभूलाल की विगत आठ वर्षो से गुमशुदा की रिपार्ट पुलिस थाने मे दर्ज नही करायी है अपितु पडौसी भी इस सम्बन्ध मे समय समय पर अपने शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुके है। आराजियात मे प्रभूलाल के स्थान पर वादीगण का नाम इन्द्राज कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव मे इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया एवं स्पष्ट रूप से कहा कि सक्षम अधिकारी से आदेश लाने को कहा है इसलिये दावा करना लाजमी आया।

- प्रभूलाल के वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। वादीगण ही वारिस है।

- विधि के प्रावधानो के अनुसार 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति के लापता होने की स्थिति मे उसे मृत मानना विधि मान्य है। ऐसी स्थिति मे प्रभूलाल को मृत मान कर स्वर्गीय प्रभूलाल के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित कराने बाबत घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है।

- घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि प्रभूलाल विगत 8 वर्षो से लापता होने के कारण मृत घोषित करते हुए आराजी मुन्दर्जा मद सं.1,2 वाके ग्राम बलरिया तह० चौथ का बरवाडा का हिस्सा 1/3 वादीगण के नाम इन्द्राज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम पैराकार सरकार जारी किये गये।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/1453दिनांक 30.05.2022 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2073-2076 में खाता सं. किता 7 रकबा 2.21 है0 में कालू पुत्र सीत्या हिस्सा 1/3 जाति बैरवा सा.देह राहिन पी.एन.बी. जमना पुत्र सीत्या हि0 1/3 जाति बैरवा सा0 देह प्रभु पुत्र सीत्या हि. 1/3 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार दर्ज है। एवं खाता सं. 197 में कालू पुत्र सीत्या हि. 2/9 जाति बैरवा सा0 देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौथ का बरवाडा घासी पुत्र मांग्या हि0 1/6 जाति बैरवा सा. देह, जमना पुत्र सीत्या हि. 2/9 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sin
Date: 2025.11.11 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

बैरवा सा. देह प्रभु पुत्र सीत्या हि. 2/9 जाति बैरवा सा. देह, रामा पुत्र मांग्या हि. 1/6 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज है।

❖ मौके पर सह खातेदारी में भाई बंटवारे से निरन्तर काश्त कर रहे हैं। उक्त खातों में सह खातेदार प्रभु पुत्र सीत्या उर्फ झीत्या बैरवा दस वर्ष से अधिक समय से ग्राम से लापता है जिसकी खोज हेतु पुत्र हेमराज व पत्नी बादाम देवी बैरवा द्वारा भी काफी प्रयास किया गया। इनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनां 19.09.2010 समय 16.00 बजे पुलिस में दर्ज करवाई है। परन्तु लापता प्रभु बैरवा निवासी बलरिया का कोई सुराग नहीं लग पाया है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण में प्रभुलाल बैरवा को मृत घोषित किया जाना उचित होगा ताकि वादीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण खुल सके।

4. प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

i. आया प्रभूलाल के विगत 8 वर्षों से लापता होने के कारण प्रभूलाल को मृत घोषित करते हुए मद संख्या 1 व 2 में उल्लेखित आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाये ?

ii. अन्य अनुतोष जो भी हो ?

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नानुसार है–

➢ <u>पी0डब्ल्यू–01:–</u> हेमराज पुत्र प्रभूदयाल बैरवा निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

➢ <u>पी0डब्ल्यू–02:–</u> बदाम देवी पत्नि प्रभूलाल बैरवा निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

➢ <u>पी0डब्ल्यू–03:–</u> शंकर पुत्र रामदेव बैरवा निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

➢ <u>पी0डब्ल्यू–04:–</u> जमनालाल पुत्र सीताराम बैरवा, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

➢ <u>प्रदर्श–01:–</u>गुमशुदा रिपोर्ट रोजनामचा दिनांक 19.09.2010

➢ <u>प्रदर्श–02:–</u>जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 197

➢ <u>प्रदर्श–03:–</u>जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 196

➢ <u>प्रदर्श–04:–</u>स्थायी जमाबंदी दिनांक 27.12.2024 खाता संख्या 196

➢ <u>प्रदर्श–05:–</u>स्थायी जमाबंदी दिनांक 27.12.2024 खाता संख्या 197

6. बहस वकील वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

7. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. साथ ही प्रभूलाल को दिनांक 10.09.2010 से लापता होना बताया है, जिसका उनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो रोजनामचा दिनांक 19.09.2010 संख्या 438 पर दर्ज है। परन्तु वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में गुमशुदगी के पश्चात् सक्षम न्यायालय में प्रभूलाल को मृतक घोषित करवाने हेतु वाद दायर नहीं किया है। साथ ही वादीगण ने वादपत्र में प्रभूलाल को मृतक घोषित करवाने हेतु निवेदन किया है, जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Sin
Date: 2025.11.11 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested